कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत श्री हरिकेश मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मिर्जापुरा–लालसोट, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि, सुन्द्राव–आनन्दपुरी, बांसवाडा किया गया एवं श्री मुकेश कुमार मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, दीलोद (बारां) को राउमावि, मिर्जापुरा–लालसोट, दौसा किया गया।

श्री हरिकेश मीणा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–18390/2019 श्री हरिकेश मीणा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–18390/2019 के क्रम में में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक–05.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक–29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री हरिकेश मीणा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय की पालना में श्री हरिकेश मीणा, राउमावि, मिर्जापुरा–लालसोट, दौसा में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित रहेंगे। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे एवं श्री मुकेश कुमार मीणा व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, मिर्जापुरा–लालसोट, दौसा को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया जाता है।

18/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./हरिकेश मीणा/18390/2019 दिनांक– 18/12/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर